भारत सरकार

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3065

दिनांक 09 अगस्त, 2024 को उत्तर के लिए

मध्य प्रदेश में महिला सशक्तीकरण योजनाएं

3065. श्रीमती संध्या राय:

श्री आलोक शर्मा:

क्या **महिला एवं बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :-

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान सरकार द्वारा मध्य प्रदेश राज्य में चलाई जा रही महिला सशक्तीकरण संबंधी योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) सरकार द्वारा इन योजनाओं पर प्रतिवर्ष जिला-वार कितनी धनराशि व्यय की जा रही है;

(ग) उक्त योजनाएं अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में कितनी सफल रही हैं;

(घ) मध्य प्रदेश, विशेषकर भिंड और दतिया जिलों में आंगनवाड़ियों की कुल संख्या कितनी है;

(ड.) उक्त जिलों में इन केंद्रों के माध्यम से बच्चों और माताओं को दिए गए लाभों का ब्यौरा क्या है और वर्ष 2014 से अब तक उक्त लाभ प्राप्त करने वाले लाभार्थियों की वर्ष-वार और आंगनवाड़ी-वार संख्या कितनी है; और

(च) 18 वर्ष से कम आयु की लड़कियों के लिए कार्यान्वित की जा रही/विचाराधीन योजनाओं का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

महिला एवं बाल विकास मंत्री

(श्रीमती अन्नपूर्णा देवी)

(क) से (ग): सरकार देश में महिलाओं की संरक्षा, सुरक्षा और सशक्तीकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। सरकार ने महिलाओं के शैक्षिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सशक्तीकरण के मुद्दे का समाधान करने के लिए जीवन-चक्र निरंतरता के आधार पर एक बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाया है ताकि वे भारत के विकास की प्रक्रिया का नेतृत्व कर सकें।

पिछले कुछ वर्षों में मध्य प्रदेश राज्य सहित देश में महिलाओं के समग्र विकास और सशक्तीकरण के लिए कई पहलें की गई हैं।

दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम) के तहत लगभग 10.18 करोड़ महिलाएं लगभग 91.57 लाख महिला स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी हैं जो देश में ग्रामीण सामाजिक-आर्थिक परिदृश्य को बदल रही हैं।

महिला कामगारों की रोजगार क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से सरकार महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों, राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों और क्षेत्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों के नेटवर्क के माध्यम से उन्हें प्रशिक्षण प्रदान कर रही है।

महिला कामगारों के लिए कार्य का अनुकूल वातावरण बनाने के उद्देश्य से श्रम संहिताओं में कई सहायक प्रावधानों को शामिल किया गया है जैसे वेतन संहिता, 2019, औद्योगिक संबंध संहिता, 2020, व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य स्थिति संहिता, 2020 और सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 (मनरेगा) में यह अधिदेश दिया गया है कि इस योजना (मनरेगा) के तहत सृजित रोजगार में से कम-से-कम एक तिहाई महिलाओं को दिया जाना चाहिए।

प्रधानमंत्री आवास योजना - ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) योजना में महिलाओं के नाम पर घरों के स्वामित्व पर विशेष ध्यान दिया जाता है और यह निर्णय लिया गया है कि घर का आवंटन, कुछ अपवादों के साथ, महिला के नाम पर या पति और पत्नी के नाम पर संयुक्त रूप से किया जाएगा।

'स्वच्छ भारत मिशन' के तहत 12.21 करोड़ से अधिक शौचालयों का निर्माण, गरीबी रेखा से नीचे की 10.33 करोड़ महिलाओं को 'उज्जवला योजना' के तहत स्वच्छ रसोई गैस कनेक्शन और 'जल जीवन मिशन' के तहत 14.99 करोड़ से अधिक ग्रामीण परिवारों को नल के माध्यम से पेयजल कनेक्शन से जोड़ने से महिलाओं की मेहनत और देखभाल का बोझ कम हुआ है और उनके जीवन में बदलाव आया है।

कृषि वस्तुओं के लिए एक ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म राष्ट्रीय कृषि बाजार या ई-नाम महिलाओं को बाजारों तक पहुंचने में आने वाली बाधाओं को दूर करने या उनकी भरपाई करने में मदद कर रहा है। राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) महिला सहकारी समितियों के उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है क्योंकि बड़ी संख्या में महिलाएं खाद्यान्न प्रसंस्करण, बागान फसलों, तिलहन प्रसंस्करण, मछली पालन, डेयरी और पशुधन, कताई मिलों, हथकरघा और पावरलूम बुनाई, एकीकृत सहकारी विकास परियोजनाओं आदि से संबंधित कार्यकलापों से संबंधित सहकारी समितियों में संलन हैं।

कौशल विकास और व्यावसायिक प्रशिक्षण के माध्यम से महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने कौशल भारत मिशन की भी शुरुआत की है। सरकार ने

प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत देश भर में प्रधानमंत्री कौशल केंद्र भी स्थापित किए हैं। महिलाओं के लिए प्रशिक्षण और अप्रेंटिसशिप दोनों के लिए अतिरिक्त बुनियादी ढांचा बनाने पर जोर दिया गया है।

महिलाओं को अपना खुद का उद्यम स्थापित करने में मदद करने के लिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना और स्टैंड-अप इंडिया, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) जैसी योजनाएं शुरू की गई हैं। महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए सरकार ने स्टैंड-अप इंडिया के तहत दस लाख रुपये से लेकर एक करोड़ रुपये तक के 84% ऋण महिलाओं को उपलब्ध कराए हैं।

वर्ष 2017 में, मातृत्व लाभ अधिनियम में संशोधन करके पहले दो बच्चों के लिए सवेतन मातृत्व अवकाश को 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह कर दिया गया। इस अधिनियम में महिला कामगारों को सवेतन मातृत्व अवकाश और पचास या उससे अधिक कर्मचारियों वाले सभी प्रतिष्ठानों में निर्धारित दूरी के भीतर क्रेच सुविधा का भी प्रावधान है। जमीनी स्तर पर महिलाओं को राजनीतिक नेतृत्व की मुख्यधारा में लाने के लिए सरकार ने संविधान में 73वें संशोधन के जरिए पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) में महिलाओं के लिए कम-से-कम 33% सीटें आरक्षित की हैं। आज पंचायती राज संस्थाओं में 14.50 लाख से अधिक निर्वाचित महिला प्रतिनिधि (ईडब्ल्यूआर) हैं जो कुल निर्वाचित प्रतिनिधियों का लगभग 46% है।

महिला सशक्तीकरण और देश के सर्वोच्च राजनीतिक पदों पर महिलाओं के प्रतिनिधित्व की दिशा में सबसे बड़ी उपलब्धि सरकार द्वारा 28 सितंबर, 2023 को नारी शक्ति वंदन अधिनियम, 2023 (एक सौ छह संविधान संशोधन) अधिनियम, 2023 की अधिसूचना है जिसके तहत लोक सभा (लोक सभा) और दिल्ली एनसीटी की विधानसभा सहित राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए एक तिहाई सीटें आरक्षित की गई हैं।

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय 15वें वित्त आयोग की अवधि के दौरान वित्तीय वर्ष 2022-23 से 'मिशन शक्ति' नामक अम्ब्रेला योजना कार्यान्वित कर रहा है जिसका उद्देश्य महिलाओं की संरक्षा, सुरक्षा और सशक्तीकरण की पहलों को सुदृढ़ करना है।

"संबल" उप-योजना महिलाओं की सुरक्षा और संरक्षा के लिए है। इसमें वन स्टॉप सेंटर (ओएससी), महिला हेल्पलाइन (डब्ल्यूएचएल), बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ (बीबीबीपी) और नारी अदालत के घटक शामिल हैं।

"सामर्थ्य" उप-योजना महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए है। इसमें प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना (पीएमएमवीवाई), शक्ति सदन, सखी निवास, पालना और संकल्प: महिला सशक्तीकरण केंद्र (एचईडब्ल्यू) के घटक शामिल हैं।

प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना (पीएमएमवीवाई) एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसका उद्देश्य गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं (पीडब्लू एंड एलएम) को मजदूरी के नुकसान के आंशिक मुआवजे के लिए प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) मोड के माध्यम से नकद प्रोत्साहन प्रदान करना है ताकि वह प्रसव से पहले और बाद में पर्याप्त आराम कर सकें और अपने स्वास्थ्य संबंधी व्यवहार में सुधार कर सकें। इसमें पहले बच्चे के लिए दो किस्तों में 5,000/- रुपये का लाभ प्रदान किया जाता है। इसके अलावा, 01.04.2022 से लागू 'मिशन शक्ति' के नए दिशानिर्देश के अनुसार, इस योजना में दूसरे बच्चे के लिए, यदि वह बालिका है, तो 6,000/- रुपये का अतिरिक्त नकद प्रोत्साहन प्रदान करके बालिकाओं के प्रति सकारात्मक व्यवहार परिवर्तन को बढ़ावा देने का प्रयास किया गया है। इस योजना के माध्यम से शुरुआत से 3.44 करोड़ से अधिक महिलाओं को लाभ दिया गया है। पालना घटक के तहत आंगनवाड़ी-सह-क्रेच का उद्देश्य माताओं को बच्चे की देखभाल में सहायता प्रदान करके उनका सहयोग करना है।

संकल्प: एचईडब्ल्यू केंद्र, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र तथा जिला स्तर पर महिलाओं के लिए योजनाओं और कार्यक्रमों के अंतर-क्षेत्रीय अभिसरण को सुगम बनाता है जिससे ऐसा वातावरण बनाया जा सके जिसमें महिलाएं अपनी पूरी क्षमता का एहसास कर सकें।

मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 के तहत आंगनवाड़ी सेवाएं एक सार्वभौमिक, प्रवेश निषेध योजना है जिसके तहत गर्भवती महिलाएं और स्तनपान कराने वाली माताएं पूरक पोषण कार्यक्रम (एसएनपी) सहित सेवाओं के लिए पात्र हैं।

प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम-जनमन) का लक्ष्य 75 विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) के विकास को लक्षित करना है ताकि पीवीटीजी परिवारों और बस्तियों को सुरक्षित आवास, स्वच्छ पेयजल और स्वच्छता, शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण तक बेहतर पहुंच, सड़क और दूरसंचार संपर्क और स्थायी आजीविका के अवसरों जैसी बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण किया जा सके। पीएम-जनमन योजना के तहत महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 के साथ अभिसरण के माध्यम से पीवीटीजी बस्तियों में 916 नए एडब्ल्यूसी को मंजूरी दी है।

विभिन्न योजनाओं के लिए मध्य प्रदेश राज्य को जारी की गई निधि का वर्षवार विवरण **अनुलग्नक-I** में दिया गया है।

(घ): पोषण ट्रैकर के अनुसार जून 2024 तक मध्य प्रदेश में आंगनवाड़ियों की संख्या 97,330 है। भिंड और दतिया जिलों में आंगनवाड़ियों की कुल संख्या क्रमशः 2,452 और 994 है।

(ङ): पोषण ट्रैकर के अनुसार जून 2024 तक भिंड और दतिया जिलों में लाभार्थियों की संख्या क्रमशः 1,53,455 और 80,803 है। मध्य प्रदेश राज्य में लाभार्थियों की वर्षवार संख्या **अनुलग्नक-II** में दी गई है।

(च): सरकार मध्य प्रदेश राज्य सहित देश भर में 18 वर्ष से कम उम्र की बालिकाओं के समग्र विकास के लिए कई योजनाएं/कार्यक्रम कार्यान्वित कर रही है।

किशोरियों के लिए योजना (एसएजी) को 01.04.2022 से मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 के तहत शामिल कर लिया गया है। इस योजना के तहत लक्षित लाभार्थी आकांक्षी जिलों और सभी पूर्वोत्तर राज्यों की 14-18 वर्ष की आयु वर्ग की किशोरियां हैं।

बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ (बीबीबीपी) योजना में 'खेलो इंडिया' जैसी पहलों के माध्यम से शिक्षा, कौशल विकास और खेल भागीदारी को बढ़ावा देकर 18 वर्ष से कम उम्र की बालिकाओं को लाभान्वित किया जाता है। इस योजना का उद्देश्य जन्म के समय लिंग अनुपात (एसआरबी) में सुधार करना, संस्थागत प्रसव को बढ़ाना, प्रसवपूर्व जांच (एएनसी) पंजीकरण और जागरूकता बढ़ाकर माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्तर पर बालिकाओं में स्कूल छोड़ने की दर को कम करना है।

एनीमिया मुक्त भारत (एएमबी) कार्यक्रम का उद्देश्य 6-59 महीने की उम्र के बच्चों, किशोरों और किशोरियों (15-19 वर्ष) सहित कमजोर समूहों में एनीमिया को कम करना है।

समग्र शिक्षा प्री-स्कूल से कक्षा XII तक स्कूली शिक्षा के लिए एक एकीकृत योजना है जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के कार्यान्वयन में सहयोग करती है। इसमें प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा, बुनियादी साक्षरता और गणना, समग्र और समावेशी पाठ्यक्रम, अध्ययन के परिणामों को बढ़ाने, सामाजिक और लैंगिक अंतर को पाटने और सभी शिक्षा स्तरों पर समानता और समावेश सुनिश्चित करने पर जोर दिया जाता है।

कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय (केजीबीवी) योजना में कक्षा XII तक की बालिकाओं के लिए आवासीय स्कूली शिक्षा की सुविधा प्रदान करके स्कूल शिक्षा में लैंगिक और सामाजिक श्रेणी के अंतर को पाटने का प्रयास किया गया है। इस योजना के तहत अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी), अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी), अल्पसंख्यक समुदायों और बीपीएल परिवारों की 10-18 वर्ष के आयु वर्ग की बालिकाओं को शामिल किया जाता है।

विज्ञान ज्योति कार्यक्रम में बालिकाओं को लैंगिक संतुलन में सुधार के लिए एसटीईएम (विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग, गणित) के क्षेत्रों में शिक्षा और करियर बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। यह कक्षा 9 से कक्षा 12 तक की मेधावी बालिकाओं पर लक्षित है तथा इसमें छात्र-अभिभावक परामर्श, कैरियर परामर्श, अतिरिक्त शैक्षणिक सहायता कक्षाएं,

टिंकरिंग गतिविधियां, विशेष व्याख्यान, वैज्ञानिक संस्थानों, प्रयोगशालाओं, उद्योगों और विज्ञान शिविरों और कार्यशालाओं का दौरा शामिल है।

*****

अनुलग्नक-I

"मध्य प्रदेश में महिला सशक्तिकरण योजनाएं" के संबंध में दिनांक 09.08.2024 को पूछे जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3065 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

मिशन शक्ति के तहत संकल्प: एचईडब्ल्यू के लिए जारी निधि का वर्ष-वार विवरण

क्र.सं.	राज्य	जारी की गई राशि (करोड़ रुपये)	
		2022-23	2023-24
1.	मध्य प्रदेश	0	4.95

मिशन शक्ति के तहत पीएमएमवीवाई के लिए जारी निधि का वर्ष-वार विवरण

क्र.सं.	राज्य	जारी की गई राशि (करोड़ रुपये)		
		2021-22	2022-23	2023-24
1.	मध्य प्रदेश	130.29	204.02	105.51

सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण **2.0** के तहत पीएम जनमन के लिए जारी निधि का वर्ष-वार विवरण

क्र.सं.	राज्य	जारी की गई राशि (करोड़ रुपये)	
		2022-23	2023-24
1.	मध्य प्रदेश	0	26.04

*****

अनुलग्नक-II

"मध्य प्रदेश में महिला सशक्तिकरण योजनाएं" के संबंध में दिनांक 09.08.2024 को पूछे जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3065 के भाग (ङ) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

वर्ष 2014 से मध्य प्रदेश राज्य में आंगनवाड़ी योजना के लाभार्थियों की वर्ष-वार संख्या

वर्ष	मध्य प्रदेश में लाभार्थी*
2016	6996690
2017	7693793
2018	8051031
2019	7997709
2020	7509662
2021	7506390
2022	7600000
2023	6697030
जून 2024 तक	7684764

* लाभार्थियों में 6 महीने से 6 वर्ष तक के बच्चे, गर्भवती महिलाएं और स्तनपान कराने वाली माताएं शामिल हैं।

*****